पत्रांक/ 573 /अ0नि0वा0क0अ0प्र0सं0/आजादी का अमृत महोत्सव/2022–23/वाणिज्य कर लखनऊ।

कार्यालय–अपर निदेशक
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
लखनऊ :: दिनांक 02 अगस्त 2022

–:: आदेश ::–

आयुक्त, रा0क0, उ0प्र0 (नजारत अनुभाग) के पत्र संख्या 146 दिनांक 13.07.2022 द्वारा मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 894 दिनांक 01.06.2022 (संस्कृति अनुभाग) की छायाप्रति संलग्न करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम का सफल कियान्वयन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करते हुए स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करने के उद्देश्य से इस कार्यालय द्वारा डा0 भारती योगेश, अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2022 दिन बुद्वार को अपरान्ह 02:30 बजे संस्थान के द्वितीय तल पर स्थित कौटिल्य सभागार में "अमृत अभिव्यक्ति" नामक शीर्षक से एक सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्णरूप से देश भक्ति से सम्बन्धित लघु भाषण, कविता पाठ, समूह गान, एकल गान तथा लघु नाटिका आयोजित किया जायेगा।

अतएव आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि व समय पर आयोजन स्थल पर उपस्थित होकर प्रस्तावित कार्यकम को सफल बनाने का कष्ट करें।

(सुविद्या गुप्ता)
संयुक्त निदेशक
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ की सेवा में पत्र संख्या 146 दिनांक 13.07.2022 के कम में।
2. अपर आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालय–राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यकम के सफल कियान्वयन हेतु अपने घरों पर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 894 दिनांक 01.06.2022 के अन्तर्गत निर्गत निर्देशों के अनुरूप तिरंगा झंडा लगाते हुए अन्य व्यक्तियों को भी झंडा फहराने हेतु प्रेरित करें।
5. उप निदेशक, कम्प्यूटर, रा0क0अ0प्र0सं0लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति विभागीय वैबसाईट एवं संस्कृति विभाग उ0प्र0 की वैबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

संयुक्त निदेशक
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।